**प्रेस विज्ञप्ति**

**23.12.2025**

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), हैदराबाद आंचलिक कार्यालय ने सन परिवार वुपड़ी मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत माननीय महानगर सत्र न्यायाधीश, रंगारेड्डी की विशेष पीएमएलए अदालत में अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की है, और माननीय न्यायालय ने 10.12.2025 को पीसी का संज्ञान लिया है।

ईडी ने तेलंगाना पुलिस द्वारा सन परिवार, मेथुकु रविंदर और उनके करीबी सहयोगियों के खिलाफ दर्ज विभिन्न एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की, जिसमें उन पर सन परिवार समूह की कंपनियों और सन म्यूचुअली एडेड थ्रिफ्ट एंड क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड में निवेश पर उच्च रिटर्न का लालच देकर आम जनता/भोले-भाले निवेशकों को धोखा देने का आरोप है। मेथुकु रविंदर और उनके सहयोगियों ने लगभग 20 लाख रुपये एकत्र किए। उन्होंने 10,000 से अधिक लोगों से 158 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की। निवेशकों से एकत्र की गई यह धनराशि इस मामले में अपराध की आय है।

ईडी की जांच में पता चला कि मेथुकु रविंदर और उनके सहयोगियों ने भोले-भाले निवेशकों को सालाना 100 प्रतिशत तक का रिटर्न देने का लालच देकर ठगने के लिए कई योजनाएं चलाईं। इसके लिए उन्होंने सन परिवार ग्रुप ऑफ कंपनीज के तहत कई कंपनियां शुरू कीं, जैसे मेथुकु चिट फंड प्राइवेट लिमिटेड, मेथुकु वेंचर्स लिमिटेड, मेट्सुन निधि लिमिटेड, मेथुकु हर्बल लिमिटेड और मेथुकु मेडिकल एंड हर्बल फाउंडेशन। इकट्ठी की गई रकम का इस्तेमाल उन्होंने अपने और अपने सहयोगियों के नाम पर चल और अचल संपत्तियां खरीदने में किया।

ईडी की जांच में यह भी पता चला कि मेथुकु रविंदर ने अपने करीबी सहयोगियों के नाम पर नई कंपनियां स्थापित कीं, जैसे मेसर्स पुदामी एग्रो फार्म लैंड्स, मेसर्स पुदामी इंफ्रा प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड और मेसर्स डिवाइन इंफ्रा डेवलपर्स। इन कंपनियों ने भी नई पोंजी योजनाएं शुरू कीं और भोले-भाले निवेशकों को भारी रिटर्न का लालच देकर उनसे पैसे वसूले। इन निधियों का उपयोग इन संस्थाओं के नाम पर संपत्तियों को खरीदने के लिए भी किया गया था।

इससे पहले ईडी ने मेथुकु रविंदर, उनके परिवार के सदस्यों, उनके करीबी सहयोगियों और साथियों से संबंधित 25.20 करोड़ रुपये की विभिन्न चल/अचल संपत्तियों को जब्त किया था।

आगे की जांच जारी है।

**********